राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

विज्ञापन क्रमांक/NHM/HR/2021/NS-1013/2134 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/11/2021

//विज्ञापन//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों के सुचारू संचालन हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्र क्र.Z-15015/4/2019-NHM-I (Part-I) दिनांक 25 नवम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार ***सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी*** (Community Health Officer) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्हता (B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से दिनांक 05.11.2021 से 25.11.2021 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

भर्ती हेतु संभागवार, आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है–

संभाग	रिक्त पदों का विवरण													
	कुल रिक्त पद	कुल मुक्त रिक्तियाँ वर्गवार				कुल रिक्तयों में भू.पू.सै. वर्गवार				कुल रिक्तयों में दिव्यांग वर्गवार			
		अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
रायपुर	500	248	76	63	63	8	3	2	2	19	6	5	5
बिलासपुर	700	277	158	107	88	9	5	4	3	22	12	8	7
दुर्ग	480	246	74	52	60	8	2	2	2	19	6	4	5
बस्तर	500	72	302	14	63	2	10	0	2	6	23	1	5
सरगुजा	520	122	257	23	66	4	9	1	2	9	20	2	5
महायोग–	**2700**	**965**	**867**	**259**	**340**	**31**	**29**	**9**	**11**	**75**	**67**	**20**	**27**

- यह भर्ती माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीसन (सी) 591/2012 रिट पिटीसन (सी) 592/2012, रिट पिटीसन (सी) 593/2012, रिट पिटीसन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों के वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
- उक्त पद हेतु केवल (OL) एक पैर दिव्यांग ही पात्र होंगे।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी** के पद पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्टबेसिक–बी.एससी.नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का संभागवार, संवर्गवार मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा।

1. **चयनित अभ्यर्थियों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाऐं –**

1.1 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) के रूप में कार्य करने के दौरान प्रतिमाह राशि रू. 16,500/– (अक्षरी रूपये सोलह हजार पांच सौ मात्र) वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य–प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम राशि रू. 15,000/– तक दी जायेगी। इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे।

2. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्र क्र.Z-15015/4/2019-NHM-I (Part-I) दिनांक 25 नवम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती Integrated Nursing Course से सफल अभ्यर्थियों से की जानी है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) पद हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक आर्हता होगी :–

2.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण।

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण।

2.2 अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन नहीं होने की स्थिति में चयन के पश्चात् 45 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा।

3. **आयु सीमा :–**

3.1 अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष छूट प्रदान किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथासंशोधित) लागू होंगे, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. **नियम एवं शर्तें :–**

4.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण एवं सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का संभागवार, संवर्गवार संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

4.2 संभागवार/वर्गवार अभ्यर्थियों की संख्या उपलबध रिक्त पदों की संख्या से अधिक होने पर ऐसे समस्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों की वर्गवार संयुक्त प्रावीण्य सूची बनाकर अन्य संभाग में उपलब्ध रिक्त पदों हेतु काउंसिलिंग कर पदस्थापना की जावेगी।